पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

भगोरा फला

ग्राम पंचायत - संचिया

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - लगभग तीन सौ साल पहले गाँव की जगह जंगल था। पास में ही वरहात उपजाति के आदिवासियों ने अपना रहवास बनाया हुआ था। कुछ भगोरा उपजाति के आदिवासी वहाँ से गुजर रहे थे। उनसे पहले से नदी किनारे रह रहे वरहात उपजाति के आदिवासियों ने नदी के उस पार जमीन पर कब्जा करके रहने के लिए आग्रह किया। तब से वहां पर भगोरा उपजाति के आदिवासियों ने जमीन पर कब्जा करके अपने रहवास बना लिए। भगोरा उपजाति के आदिवासियों के निवास स्थान होने के कारण इस गाँव का नाम भगोरा फला हो गया।

गाँव का एक परिचय - भगोरा फला जिला कार्यालय डूंगरपुर से 24 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। जिसकी ग्राम पंचायत संचिया और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है।   भगोरा फला में कुल घरों की संख्या लगभग 475 है और कुल आबादी लगभग 2,735 हैं। गाँव में 7 फले हैं। जिनमें सुत्रिफला, ननोमाफला, तरालफला, आमलीफला(निचला फला), मुड़ियादराफला, छोटाफला, पांचवाफला(सोतरी फला) हैं। यहां गाँव सभा का गठन और शिलालेख 20 जनवरी 2018 को हुआ। भगोरा फला के उत्तर दिशा में संचिया, दक्षिण में नवाघरा, पूर्व में नवलश्याम और पश्चिम में बरौठी गाँव है। गाँव में आदिवासियों की मुख्यतः भगोरा, तराल, वरात, खराड़ी, अहारी, और ननोमा आदि उपजातियां निवास करती है। गाँव में 75 परिवार पाटीदार समाज के हैं जो मोड़, पटेल और दरोगा है। अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा दयनीय है। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान वाली, पथरीली एवं उबड़–खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। गाँव की मुख्य उपज मक्का और गेहूं है जिसकी पैदावार से लगभग चार माह गुजारा चलता है । बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में राशन की दुकान नहीं होकर दो किलोमीटर दूर संचिया में है। गाँव में गाय, बैल, भैंस, बकरी का लगभग 6 माह का चारा उपलब्ध रहता   है। बाकी चारा बाजार से खरीदा जाता है। बिजली की सुविधा लगभग 400 घरों में है। पेसा कानून की जानकारी लगभग 35% लोगों को है। गाँव का पूरा रकबा 2,125 बीघा 10 बिस्वा है। गाँव में बेनामी जमीन 24 बीघा 14 बिस्वा है। गाँव से बाजार और सरकारी अस्पताल सात किलोमीटर दूर कनबा में है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं।   गाँव में एक मोबाइल टावर हैं। भगोरा फला   का पुलिस थाना बिछीवाड़ा लगता है। गाँव में एक सामुदायिक भवन भी हैं।

आवागमन की स्थिति - कहीं आने-जाने के लिए गाँववासियों को लगभग दो से पांच से किलोमीटर पैदल चलकर संचिया आना पड़ता है। संचिया से जीप अथवा टेंपो मिलते हैं जो पूरा भरने तक लगभग खड़े रहते हैं। यात्रियों को   जीप अथवा टेंपो कनबा तक छोड़ते है। कनबा से डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग पर चलने वाले आवागमन के साधन जैसे - बस अथवा जीप मिलती है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने -जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है।   गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र संचिया में (2 किलोमीटर) दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको डूंगरपुर ले जाना पड़ता है जो गाँव से 24 किलोमीटर दूर है। जिसके लिए मरीज को एक से दो   किलोमीटर पैदल चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए कनबा जाना पड़ता हैं जो गाँव से 8 किलोमीटर दूरी पर हैं। पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है। वह भी कनबा में ही है। गाँव में तीन आंगनवाड़ियां है। दो प्राथमिक विद्यालय है जिसमें बच्चों की संख्या 226 है और अध्यापकों की संख्या 5 है। मिडिल स्कूल एक है जिसमें बच्चों की संख्या 263 है और अध्यापकों की संख्या 4 है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है।

विद्यालय में कमरों में पानी टपकता है और चारदीवारी नहीं है। आठवीं के बाद 9वीं से 12वीं तक विद्यालय संचिया में (2 किलोमीटर दूर) है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 24 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैं

आवागमन की कमी - भगोराफला से कहीं आने-जाने के लिए गाँववासियों को लगभग दो से पांच किलोमीटर पैदल चलकर संचिया आना पड़ता है। संचिया से जीप या टेंपो मिलते हैं जो भरने तक लगभग खड़े रहते हैं। ये जीप या टेंपो कनबा तक छोड़ते है। कनबा से डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग पर चलने वाले आवागमन के साधन जैसे बस और जीप मिलती है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना -जाना पड़ता है। आने जाने की सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, वृद्ध लोगों और बच्चों को उठानी होती है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव की समतल जमीन केवल कुछ परिवारों के कब्जे में है और गाँव का चरागाह लगभग 10 बीघा है जो पहाड़ियों पर है, उस पर भी थोड़ा गाँव का और थोड़ा वन विभाग का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली एक फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां न तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में एक नाला और एक तालाब है। एक एनीकट है जो टूटा है और तीन चेक डैम हैं। गाँव में सत्ताईस हैण्ड पम्प हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हैंडपंप से होती है। चार-पांच हैंडपम्प के पाइप में छेद है या सूखे पड़े हैं। गाँव में 32 कुँए हैं। सिंचाई के लिए लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद सर्दियों तक पानी की समस्या नहीं होती है लेकिन मार्च महीने तक जल स्तर नीचे चला जाता है। जिससे बहुत से कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। मई-जून के महीनों में पानी का टेंकर 1000-1200/- रूपये प्रति टेंकर के हिसाब से मंगवाना पड़ता है। जो चार-पांच परिवार मिलकर मंगवाते है। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है न ही गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर.ओ. प्लांट ही है। आदिवासी बस्ती में बहुत कम हैंडपंप है जो चालू हैं जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति -कृषि योग्य जमीन उबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली है। बिलानाम भूमि पहाड़ी है उस पर कुछ लोगों का कब्जा है। गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर गेहूं और मक्का की खेती करते हैं जो उनके खाने के काम आती है। शेष जमीन उबड़-खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँववासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। आदिवासियों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। आदिवासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं। मनरेगा में मजदूरी भी 100 रूपये से कम ही मिलती है। इसलिए मुम्बई या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी

करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 75% है। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 13 है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नदी नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गाँव में एक नदी है और नाले हैं जिसमें केवल बरसात में पानी रहता हैं। बरसात बाद नदी और नाले सूख जाते है। नाले पर एक एनिकट बना हुआ है जिसमें से पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में एक तालाब है। तालाब में पानी कम है। तालाब छोटा है। उसकी पाल कच्ची है। गाँव में 32 कुँए हैं जो गर्मियों में सूख जाते हैं। गाँव में 27 हैंडपंप हैं। कुछ हैंडपंप खराब भी पड़े हैं। सिंचाई के लिए गाँव में निजी ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	पुराने एनिकट की मरम्मत तथा नए एनीकट बनाने की योजना। कुओं को गहरा करने और पक्का करने से जल संकट दूर हो सकता है। तालाब को गहरा करने की योजना है जिससे सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है। जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में बिला नाम जमीन भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी है जो पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर कुछ परिवारों और वन विभाग का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।
जंगल	जंगल की स्थिति दयनीय है। जंगल में कंटीली झाड़ियाँ और बबूल के अलावा कुछ ही वृक्ष है। विशेषकर लघु वन उपज देने वाले पेड़ कम है।	वन पर सामुदायिक दावा करके वन को गाँव सभा के अधीन करना। नए बांस, सागवान, आंवला, तेंदु आदि वृक्ष लगाने की योजना।
विद्यालय	विद्यालय के चारों कमरों में बरसात के मौसम में पानी टपकता है और चारदीवारी नहीं है।	मरम्मत के द्वारा ठीक किया जा सकता हैं। चारदीवारी नई बनाई जा सकती है।
आंगनवाड़ी	छत जर्जर अवस्था में है।	मरम्मत के द्वारा ठीक किया जा सकता हैं।
सी.सी. सड़क	सड़क टूटी हुई है।	मरम्मत के द्वारा ठीक किया जा सकता हैं।
किसान सेवा केंद्र	लोगों के बैठने की सुविधा नहीं है। पीने के पानी की सुविधा नहीं है।	बैठने और पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती हैं।

उपस्वास्थ केंद्र	नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र संचिया में (2 किलोमीटर) दूर है	गाँव में उपस्वास्थ केंद्र खोला जा सकता है। जिससे लोगों को इलाज करवाने में सुविधा हो।
पशु चिकित्सालय	पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है। वह कनबा में(गाँव से 8 किलोमीटर दूरी पर) है। बीमार पशुओं को कनबा लेकर जाना कठिन होता है।	पशु चिकित्सालय खोला जा सकता है। जिससे लोगों को इलाज करवाने में सुविधा हो।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। गाँव के चरागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है वह उनके चारे के काम आती है। कुछ आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। जो पशु हैं उनके लिए भी पशुबाड़ा नहीं होने से सर्दी, गर्मी और बरसात में पशुओं को तकलीफ सहना पडती हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस 2 लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी या भेड़ पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, भेड़ पालने और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 100 रु. प्रतिदिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति- ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास, श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी-कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। राशन की दुकान पर गेहूं मिलता है और चीनी मिलती है लेकिन चावल नहीं मिलता है और मिट्टी का तेल कभी-कभी मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं,उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायत द्वारा गाँव के रास्ते का निर्माण किया जाता है। अभी तक पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों में सरपंच को मनमानी चलती है जहाँ रास्ते की सबसे ज्यादा	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते के संकट का समाधान होने की	**तात्कालिक**	

			जरुरत हैं वहाँ न बनाकर अपने लोगों के रास्ते बनाने को तरजीह देते हैं। कुछ समस्याएँ रास्ते के निर्माण में तब भी आती हैं जब लोग अपनी जमीन देने से इनकार कर देते हैं।	संभावना है। साथ ही साथ आपसी समझ बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है । जिससे रास्ते के लिए जमीन का मामला हल किया जा सके।		
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	सरकारी स्कूलों में गाँव के प्राथमिक शिक्षा का स्तर बिलकुल गिर गया हैं। न तो अध्यापक हैं और न ही बच्चों को बैठने के लिए कमरे। विद्यालय में कभी एक तो कभी दो अध्यापक होते हैं। कमरे मात्र दो हैं जबकि कक्षाएं 5 चलती हैं। ऐसे में बच्चों के समुचित शिक्षा की व्यवस्था नामुमकिन हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ना चाहते हैं लेकिन इसके लिए क्या करें यही समझ नहीं पा रहें हैं।	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया पंचायत के सभी गांवों की कमेटी(शांति समिति) की सयुक्त बैठक करके एक आम सहयोग बनाने का भी निर्णय लिया गया हैं कि कैसे बच्चों की शिक्षा बेहतर की जाये।	**तात्कालिक**	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है। चारे की कमी के कारण पशु पालन नहीं होने से कम्पोस्ट खाद भी तैयार नहीं हैं।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव के सभी लोगों को अभी तक आवास नहीं मिले हैं अभाव के चलते लोग अपने मकान स्वयं बनाने की स्थिति में नहीं हैं गाँव में ऐसे लोग	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों	**तात्कालिक**	

			हैं जिनको आवास की सबसे ज्यादा जरूरत है लेकिन उन के मकान अभी तक नहीं बने हैं क्योंकि आवास मिलने के लिए के लिए लोगों को न्यूनतम 10 हजार रु.सरपंच को देने पड़ते हैं। जो लोग इस राशि को देते हैं उनको आवास मिल जाता हीं। जो लोग नहीं दे पाते हैं उनको आवास नहीं मिलता हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी आवास और शौचालय का भुगतान नहीं हो सका। क्योंकि वः अतिरिक्त शुल्क(घुस) नहीं दे पा रहे हैं।	को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।		
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**	
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के कुछ फलों में हैण्ड पम्प भी नहीं हैं क्योंकि वहाँ बोर-मशीन जाने का रास्ता भी नहीं है। अन्य फलों में बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

			व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। साथ ही साथ गाँव के पानी में फ्लोराइड और आयरन की मात्र भी ज्यादा पायी जाती हैं जिससे लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं।			

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	गाँव तक जाने के लिए एक कच्ची सड़क है उसे बाद फलों तक जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं जहाँ साधन जा पाना कठिन हैं। कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल तालाब नदी नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	नाले का सूखा होना। तालाब में पानी नहीं रुकना। एक एनीकट है लेकिन टूटा हुआ होना। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	कृषि भूमि का असमतल पहाड़ी ढलान और पथरीली होना। गाँव की सभी पहाड़ियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

	का अभाव।		
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

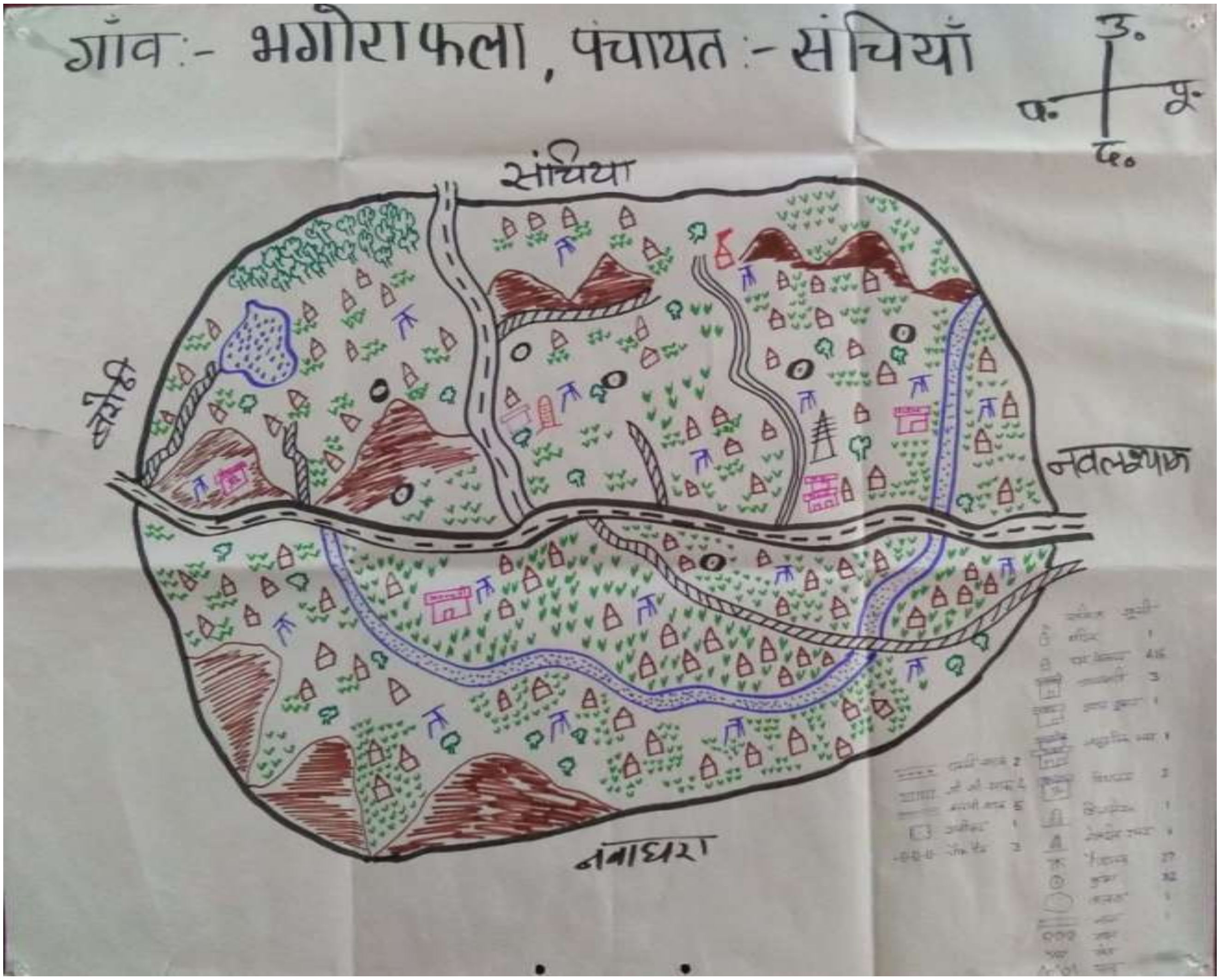

नजरिया नक्शा भगोरा फला

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन वृद्धा पेंशन	16	16
2	विकलांग पेंशन	3	3
3	एकल नारी पेंशन	3	3
4	रुकी हुई पेंशन	7	7
5	जननी सुरक्षा के संबंध में	1	1
6	प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कमरा निर्माण और शौचालय निर्माण के संबंध में	1	--
7	उप स्वास्थ्य केंद्र भगोरा फला में खोले जाने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
8	रास्ते के संबंध में	10	--
9	प्रधानमंत्री आवास के संबंध में	21	21
10	खेत समतलीकरण के संबंध में	62	62
11	कुआं गहरीकरण के संबंध में	28	28
12	नए हैंडपंप लगाने के संबंध में	52	52
13	नए एनीकट के संबंध में	5	गाँव के समस्त परिवार
14	पक्के चेक डैम के संबंध में	19	गाँव के समस्त परिवार
15	पशु बाड़ा बनाने के संबंध में	27	27
16	खेत तलावड़ी बनाने के संबंध में	9	9
17	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावे के संबंध में विचार	18	18

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया– फोटो गैलेरी

गाँव सभा की बैठक में प्रस्ताव तैयार करतेभागोराफला और संचिया के लोग

(६)

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत..सेंचिया

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानो के अनुसूचित क्षेत्रो पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (I)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावे।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम..भगोरा फला

प्रतिलिपी:-

1.श्रीमान् विकास अधिकारी...........
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

वेलाराम

रमेशचन्द्र भगोरा

सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा
गाँव भगोरा फला ग्रा.पं. सेंचिया
(राज.)

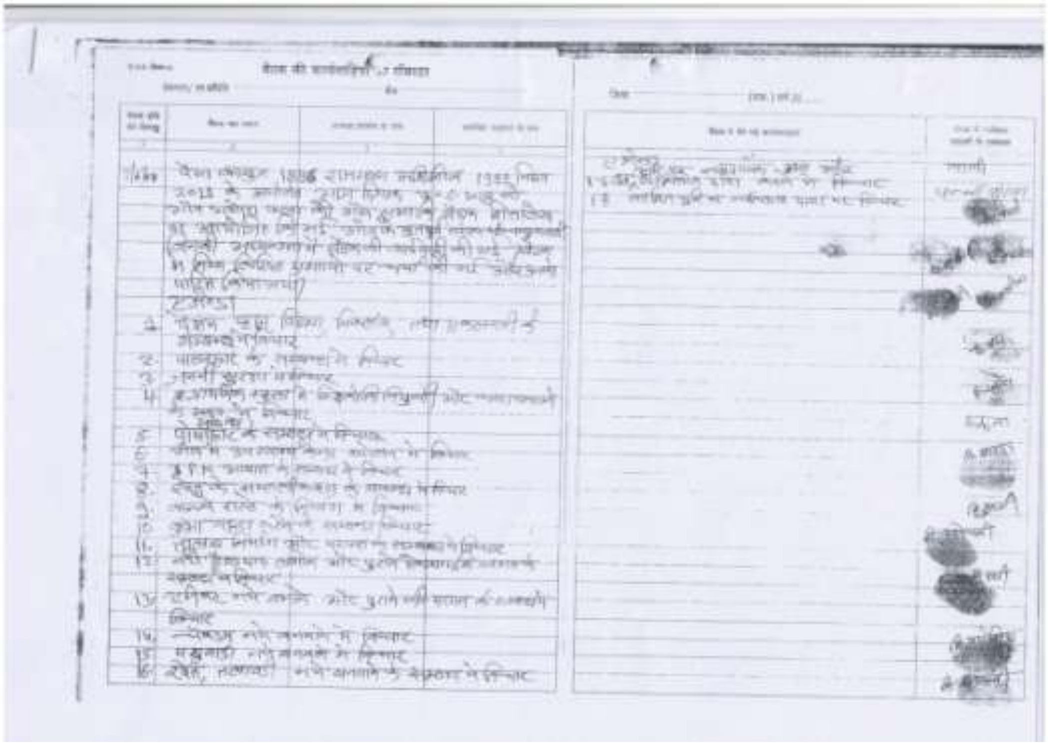

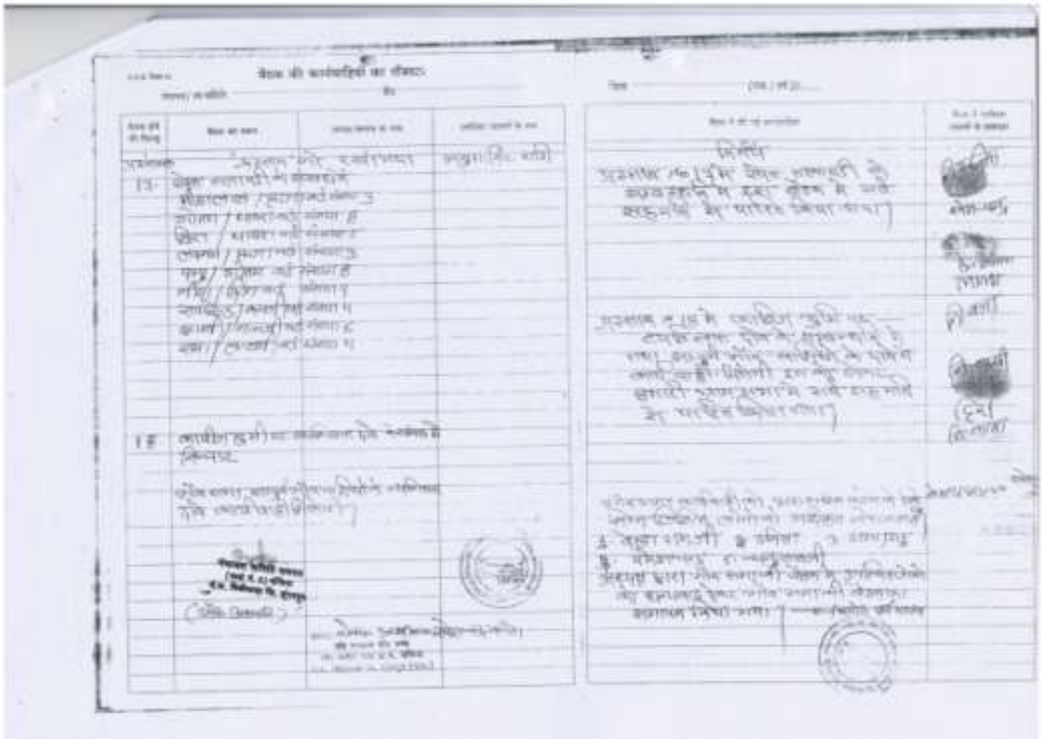

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम(वीपीएफटी) -

नाम **फोन न.**

1.	चंदूलाल/धुला भगोरा	9950720227
2.	रमेश/हीरा भगोरा	9950428858
3.	उर्मिला/नानजी भगोरा	7340360659
4.	तुलसी/लाला भगोरा	7742772005
5.	मंजुला/वदा भगोरा	8890151113